बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं०सं०–2/एल–03/2023– /स्वा०, पटना, दिनांक / /2026

डा० मधुबाला कुमारी, चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, हुलासगंज, जहानाबाद को वित्त विभागीय पत्रांक–9889, दिनांक–01.12.2015 एवं वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के पत्राक–1618(25), दिनांक–04.08.2025 से प्राप्त अवकाश आदेयता के आलोक में शिशु देखभाल अवकाश निम्नरुपेण स्वीकृत किया जाता है :–

1	दिनांक–06.11.2022 से 15.01.2023 तक	–	कुल–71 (एकहत्तर) दिन को शिशु देखभाल अवकाश के रूप में।
2	दिनांक–06.09.2023 से 05.11.2023 तक	–	कुल–61 (एकसठ) दिन को शिशु देखभाल अवकाश के रूप में।
3	दिनांक–09.09.2024 से 14.10.2024 तक	–	कुल–36 (छत्तीस) दिन को शिशु देखभाल अवकाश के रूप में।

2. उपभोगित अवकाश को घटाने के पश्चात 493 (चार सौ तिरानवें) दिन शिशु देखभाल अवकाश आदेय रह जाता है।

3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–
(विनोद कुमार पाठक)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–2/एल–03/2023– 899(2) **पटना, दिनांक** 30/4/**2026**

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/ प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, जहानाबाद/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, हुलासगंज, जहानाबाद/कोषागार पदाधिकारी, जहानाबाद/डा० मधुबाला कुमारी, चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, हुलासगंज, जहानाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

27/4/26
सरकार के उप सचिव।

Des 2>Ru>adesh24> Awadh